

मध्य प्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय,
वल्लभ भवन,भोपाल-462004

—: आदेश :—

भोपाल, दिनांक 16/06/2026

क्रमांक 1/1/4/0027/2026-Sec-1-05(CT) : राज्य शासन, एतद्वारा सहायक आयुक्त, जिन्हें विभाग द्वारा उपायुक्त पद का “कार्यवाहक उच्च पद प्रभार” दिया गया है, उन्हें प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित कर समान सामर्थ्य सेवा शर्तों एवं निर्बंधनों पर आगामी आदेश पर्यन्त अस्थायी रूप से उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये कॉलम क्रमांक-4 में अंकित कार्यालय में निम्नानुसार पदस्थ करता है:—

क्र.	सहायक आयुक्त का नाम एवं वर्तमान प्रभार	प्रभारी उपायुक्त के पद पर वर्तमान पदस्थापना	प्रभारी उपायुक्त के पद पर नवीन पदस्थापना
1	2	3	4
1.	सुश्री रूबी रघुवंशी, उपायुक्त पद का कार्यवाहक उच्च प्रभार 110015743	अपील इंदौर-1	रतलाम संभाग
2.	श्री राजेन्द्र कुमार वास्केल, उपायुक्त पद का कार्यवाहक उच्च प्रभार 430017095	अपील उज्जैन	सागर संभाग
3.	सुश्री अनुपमा शर्मा, उपायुक्त पद का कार्यवाहक उच्च प्रभार 080008671	सागर संभाग	टैक्स ऑडिट विंग, ग्वालियर
4.	सुश्री मधुलिका सिंह, उपायुक्त पद का कार्यवाहक उच्च प्रभार 134009624	मुख्यालय इंदौर	ग्वालियर संभाग-1 (आगामी आदेश पर्यंत ग्वालियर संभाग-2 का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा)
5.	सुश्री दीपमाला ठाकुर उपायुक्त पद का कार्यवाहक उच्च प्रभार 051015799	इंदौर संभाग-3	अपील उज्जैन

2/ उपायुक्त पद का “कार्यवाहक उच्च प्रभार” दिये जाने संबंधी आदेश किसी भी समय बिना किसी पूर्व नोटिस/सूचना के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरस्त किया जाकर संबंधित को उनके मूल पद पर वापस किया जा सकता है। उक्त प्रभार वर्तमान व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालन हेतु दिया जा रहा है, इसे पदोन्नति/पदस्थापना न माना जाये। साथ ही कार्यवाहक उच्च प्रभार के साथ पदस्थ अधिकारी का वेतनमान वही रहेगा, जो उन्हें अपने वास्तविक कनिष्ठ पद पर प्राप्त हो रहा है। कार्यवाहक उच्च प्रभार के कार्यकाल के आधार पर उक्त पद की वरिष्ठता संबंधित अधिकारी को प्राप्त नहीं होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(राजेश ओगरे)
अपर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
वाणिज्यिक कर विभाग

// 2 //

पृ. क्रमांक 1/1/4/0027/2026-Sec-1-05(CT) :

भोपाल, दिनांक 16/06/2026

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
2. विशेष सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्रीजी, वाणिज्यिक कर विभाग।
3. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय।
4. निज सचिव, प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वाणिज्यिक कर विभाग।
5. आयुक्त, वाणिज्यिक कर की ओर प्रेषित कर निर्देशानुसार अनुरोध है कि कृपया उक्त आदेश विभाग की वेबसाईट पर आज ही अपलोड करवाने का कष्ट करें। साथ ही संबंधित शासकीय सेवक को स्थानान्तरण नीति वर्ष 2026 के अनुसार निर्धारित समय-सीमा में कार्यमुक्त किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
6. आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल।
7. संबंधित संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, द्वारा आयुक्त, वाणिज्यिक कर।
8. संबंधित अधिकारी.....द्वारा आयुक्त, वाणिज्यिक कर।
9. आदेश फोल्डर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
वाणिज्यिक कर विभाग